<table>
<tr><td colspan="2">

<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलाईगढ़ (छ.ग.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – कु. प्रेरणा वर्मा</u>

</td></tr>
<tr><td colspan="2">

<u>निर्णय दिनांकः</u>–21–08–2025

<u>प्रकरण क्रमांक</u>–cri/394/2023

<u>अपराध क्रमांक</u>–313/2023

<u>आरक्षी केन्द्र</u>–बिलाईगढ़

<u>धारा</u>– 294, 506 (भाग–दो)

323, 147 भा.दं.सं.

<u>संस्थित दिनांक</u>–23–08–2023

</td></tr>
<tr><td>शिकायतकर्ता</td><td>छ.ग. राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिलाईगढ़
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>प्रतिनिधिकर्ता</td><td>सहायक जिला अभियोजन अधिकारी</td></tr>
<tr><td></td><td>विरूद्ध</td></tr>
<tr><td>अभियुक्तगण</td><td>1. प्रेमलाल साहू पिता भनेश्वर साहू उम्र–57 वर्ष
2. मालिकराम साहू पिता प्रेमलाल साहू उम्र–18 वर्ष
3. डिकेश प्रसाद साहू पिता प्रेमलाल साहू उम्र–34 वर्ष,
4. सकुन्तला साहू पति मालिकराम साहू उम्र–32 वर्ष,
5. सुमन साहू पति डिकेश साहू उम्र–26 वर्ष,
सभी निवासी–ग्राम–चुरेला, थाना–भटगांव,
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>प्रतिनिधिकर्ता</td><td>श्री सुनील देवांगन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण</td></tr>
</table>

घटना दिनांक	06–08–2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	06–08–2023
अभियोग–पत्र प्रस्तुति दिनांक	23–08–2023
आरोप पत्र विरचित करने की तिथि	06–12–2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	25–08–2024
निर्णय हेतु प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की तिथि	21–08–2025
निर्णय दिनांक	21–08–2025
सजा आदेश की तिथि यदि कोई हो,	निरंक

अभियुक्तगण का विवरण

क्र.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत की तिथि	अपराध का आरोप	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	दी गई सजा	धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रकरण के लंबनकाल के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
1.	प्रेमलाल साहू	11.08.2023	11.08.2023	धारा 147 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
2.	मालिकराम साहू	11.08.2023	11.08.2023	धारा 147 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
3.	डिकेश प्रसाद साहू	11.08.2023	11.08.2023	धारा 147 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
4.	सकुन्तला साहू	11.08.2023	11.08.2023	धारा 147 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक
5.	सुमन साहू	11.08.2023	11.08.2023	धारा 147 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

दा.प्र.क्र.–394/2023
निर्णय लगातार ....

–: अनुक्रमणिका:–

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	निर्णय का शीर्षक	4
02	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
03	आरोप	4-5
04	स्वीकृत तथ्य	5
05	अभियोजन की कहानी	5-6
06	साक्षियों का विवरण	6-7
07	अवधारणीय प्रश्न	7-8
08	कारण और निष्कर्ष	8-12
09	दण्डादेश	12
10	अभिरक्षा में बिताई गई अवधि एवं मुजरा	13
11	जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण	13
12	प्रतिकर का आदेश	निरंक
13	प्रमाण–पत्र अंतर्गत धारा 428 सी.आर.पी.सी.	14-16
14	दण्डादेश सुपुर्दगी का वारंट (कारावास या जुर्माना)	निरंक
15	निर्णय की प्रति	13

// नि र्ण य //
(आज दिनांक–21–08–2025 को घोषित)

---

01. अभियुक्तगण **प्रेमलाल साहू, मालिकराम साहू, डिकेश प्रसाद साहू, सकुन्तला साहू, सुमन साहू** के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 294, 506(भाग–दो), 323, 147** के अधीन यह आरोप है कि उन्होनें दिनांक 06–08–2023 को समय 08.00 बजे, स्थान ग्राम नकटीडीह, डोकरीनाला खेत, थाना बिलाईगढ़, क्षेत्रान्तर्गत जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़, (छ.ग.) में जो कि एक लोकस्थान है, में प्रार्थी/आहत उद्धव दास वैष्णव को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील गाली गलौज के शब्द उच्चारित कर उन्हें तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा इसी इसी घटना के अनुक्रम में उक्त घटना दिनांक, समय, स्थान पर प्रार्थी/आहत प्रार्थी/आहत उद्धव वैष्णव को जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास का अपराध कारित किया तथा इसी घटना के अनुक्रम में उक्त घटना दिनांक, समय, स्थान पर अन्य एकराय होकर सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी/आहत उद्धव वैष्णव के साथ हाथ–मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया तथा इसी इसी घटना के

अनुक्रम में उक्त घटना दिनांक, समय, स्थान पर में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में प्रार्थी/आहत उद्धव वैष्णव के साथ मारपीट कर बल या हिंसा का प्रयोग करते हुये बलवा कारित किया ।

02. प्रकरण में कोई भी उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

3.1 अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 06–08–2023 के समय 08.00 बजे प्रार्थी ग्राम नकटीडीह नाला खार खेत गया था जिसे अभियुक्त प्रेमलाल साहू, एवं उसके दोनो बेटा एवं दोनो बहु खेत में आकर प्रार्थी के पूर्वज से काबिज भूमि खसरा नंबर 311 रकबा 1.386 हेक्टेयर को हमारा खेत बोलकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर हाथमुक्का से मारपीट किये, कि रिपोर्ट पर प्रार्थी का मुलाहिजा कराया गया । विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया, गवाहो के कथन लेखबद्ध किये, अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया । प्रकरण के संपूर्ण

विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

3.2. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के प्रार्थी/आहत उद्धव वैष्णव का अभियुक्तगण प्रेमलाल साहू, मालिकराम साहू, डिकेश प्रसाद साहू, सकुन्तला साहू, सुमन साहू के साथ राजीनामा होने के कारण अभियुक्तगण प्रेमलाल साहू, मालिकराम साहू, डिकेश प्रसाद साहू, सकुन्तला साहू, सुमन साहू को भा.दं.सं. की धारा 294, 506(भाग–दो), 323 के आरोप से दोषमुक्त किया गया था । वर्तमान में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 147 का विचारण जारी है ।

04. अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 506(भाग–दो), 323, 147 के तहत आरोप पत्र तैयार कर अभियुक्तगण को अपराध की विशिष्टियॉ पढ़कर सुनाए समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने जुर्म करना अस्वीकार कर विचारण की मांग किया ।

05. अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में **साक्षी परसादी साहू (अ.सा.–01), साक्षी विवेचनाधिकारी प्रधान आरक्षक भंवरलाल**

काटले (अ.सा.–02), साक्षी उद्धव वैष्णव (अ.सा.–03), साक्षी डॉक्टर आयुष अग्रवाल (अ.सा.–04), साक्षी कौशिल्या बाई (अ.सा.–05), का कथन कराया है । अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में घटनास्थल का नजरी नक्शा **प्र.पी.–01,** गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः **प्र.पी.–02** से **प्र.पी.–06,** लिखित शिकायत **प्र.पी.–07,** प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.पी.–08,** मुलाहिजा तहरीर **प्र.पी.–09,** मुलाहिजा रिपोर्ट **प्र.पी.–10** तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं ।

06. अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर, उन्होने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए, बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया जाना व्यक्त किया ।

07. **प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न हैं:–**

क्या अभियुक्तगण **प्रेमलाल साहू, मालिकराम साहू, डिकेश प्रसाद साहू, सकुन्तला साहू, सुमन साहू** ने दिनांक 06–08–2023 को समय 08.00 बजे, स्थान ग्राम नकटीडीह, डोकरीनाला खेत, थाना

बिलाईगढ़, क्षेत्रान्तर्गत जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़,(छ.ग.) में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में प्रार्थी/आहत उद्धव वैष्णव के साथ मारपीट कर बल या हिंसा का प्रयोग करते हुये बलवा कारित किया ?

–:विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष:–

---

08. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अभियोजन के उपर है । अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होगा । अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में परीक्षित कराये गए **साक्षी प्रार्थी/आहत उद्धव वैष्णव (अ.सा.–03)** ने अपने मुख्य कथन में यह बताया है कि दिनांक 06–08–2023 को सुबह 08.00 बजे के आसपास उसके भाई मनोहरदास वैष्णव ने फोन करके बताया कि उनके जमीन में अभियुक्तगण घुसकर खेत में निंदाई कर रहें हैं । जब साक्षी के भाई ने अभियुक्तगण को ऐसा करने से मना किया जब अभियुक्तगण ने बोला कि जमीन का कागजात लेकर आओ, तब प्रार्थी/आहत का भाई जमीन का कागजात लेने के लिये गया था । उसी समय प्रार्थी/आहत जब मौके पर पहुंचा और अभियुक्तगण को कागज को

दिखाया तब भी अभियुक्तगण नही माने, तब प्रार्थी/आहत ने अपने बड़े भाई को बोला कि घर जाकर मां और चाची को लेकर आओ ।

09. प्रार्थी ने आगे यह कथन किया है कि जब प्रार्थी का भाई वहां से चला गया तब पांचो अभियुक्तगण ने उसे अकेला पाकर मारते हुये खेत से सड़क तक ले गये । उसके बाद प्रार्थी ने घटना के संबंध में लिखित शिकायत **प्र.पी.–07** एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र.पी.–08** दर्ज कराया था । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिस भूमि के बारे में विवाद हुआ, उसका खसरा नंबर 311 है एवं वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि प्रेमलाल के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उनके विरूद्ध भी इसी भूमि के विवाद के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है ।

10. प्रकरण के अन्य **साक्षी परसादी साहू (अ.सा.–01)** ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने खेत में काम कर रहा था एवं प्रकरण का आहत छोटु (उद्धव दास वैष्णव) अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अभियुक्त प्रेमलाल एवं

अन्य अभियुक्तगण आहत से जमीन की बात को लेकर वाद विवाद करने लगे । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना हो जाने के बाद घटनास्थल पर पहुंचा एवं कौन किसको मारपीट किया, वह प्रत्यक्ष रूप से नही देखा है ।

11. प्रकरण के अन्य **साक्षी कौशिल्याबाई साहू (अ.सा.–05)** ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नही किया है एवं घटना के संबंध में कोई जानकारी नही होना बताया है । प्रकरण के अन्य साक्षी आहत का मुलाहिजाकर्ता डॉक्टर आयुष अग्रवाल ने मुलाहिजा प्रतिवेदन **प्र.पी.–10** को प्रमाणित करते हुये यह बताया है कि दिनांक 06–08–2023 को आहत उद्धव वैष्णव का मुलाहिजा करने पर साक्षी ने पाया था कि आहत के गले के पिछले भाग में, बांये पांव में, पीठ के नीचे वाले हिस्से में आहत ने दर्द होना बताया था, बांये अंगूठे में खरोच का निशान 1×2 सेंटीमीटर था । प्रकरण के **विवेचनाधिकारी प्रधान आरक्षक भंवरलाल काटले (अ.सा.–02)** ने विवेचना की संपूर्ण कार्यवाही को प्रमाणित किया है ।

12. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के **प्रार्थी उद्धव वैष्णव (अ.सा.–03)** ने यद्यपि अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्तगण द्वारा

उसके साथ मारपीट किये जाने का कथन किया है, किंतु दिनांक 16–07–2025 को प्रकरण के प्रार्थी ने न्यायालय में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि उसका प्रकरण के अभियुक्तगण के साथ राजीनामा हो गया है एवं उक्त आधार पर अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 294, 506(भाग–दो), 323 में दोषमुक्त कर दिया गया है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के राजीनामा योग्य नही होने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण जारी है ।

13. प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि यद्यपि **साक्षी परसादी साहू (अ.सा.–01)** ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट करना बताया है, किंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी का साक्ष्य खंडित रहा है एवं साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह घटना के उपरांत घटनास्थल पर पहुंचा था, इसलिये कौन किसको मारपीट किया, साक्षी ने प्रत्यक्ष रूप से नही देखा है । इसी प्रकार प्रकरण की अन्य स्वतंत्र **साक्षी कौशिल्याबाई (अ.सा.–05)** ने भी अभियोजन की कहानी का समर्थन नही किया है । यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रकरण के **विवेचनाधिकारी प्रधान**

आरक्षक भंवरलाल काटले (अ.सा.–02) ने विवेचना की कार्यवाही को प्रमाणित किया है, किंतु स्वतंत्र साक्षियों द्वारा कार्यवाही का समर्थन नही किये जाने से अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है ।

14. तदानुसार उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्तगण **प्रेमलाल साहू, मालिकराम साहू, डिकेश प्रसाद साहू, सकुन्तला साहू, सुमन साहू** ने दिनांक 06–08–2023 को समय 08.00 बजे, स्थान ग्राम नकटीडीह, डोकरीनाला खेत, थाना बिलाईगढ़, क्षेत्रान्तर्गत जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़,(छ.ग.) में आहत के साथ मारपीट कर बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ।

15. अस्तु अभियुक्तगण **प्रेमलाल साहू, मालिकराम साहू, डिकेश प्रसाद साहू, सकुन्तला साहू, सुमन साहू** को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 147** के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

16. अभियुक्तगण द्वारा धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के

तहत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक विस्तृत रहेंगे ।

17. अभियुक्तगण के द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि निरंक है । इस संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधान के तहत पृथक से तालिका निर्मित की गई है जो कि निर्णय का भाग मानी जावेगी ।

18. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नही है ।

19. अभियोजन को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

20. प्रकरण समाप्त । प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2025.08.31 12:36:40 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित कर घोषित किया गया ।

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2025.08.31 12:36:45 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ.ग.)

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम	प्रेमलाल साहू
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	11–08–2023
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
जमानत पर रिहा करने की तिथि	–
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	निरंक
अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना हैः (अ) + (ब)	
निरंक	

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2025.08.31 12:36:52 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ.ग.)

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम	मालिकराम साहू
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	11–08–2023
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
जमानत पर रिहा करने की तिथि	–
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	निरंक
अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना हैः (अ) + (ब)	
निरंक	

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2025.08.31 12:36:58 +0530

दा.प्र.क्र.–394/2023
निर्णय लगातार ....

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्त का नाम	डिकेश साहू
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	11–08–2023
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
जमानत पर रिहा करने की तिथि	–
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	निरंक
अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना हैः (अ) + (ब)	
निरंक	

PRERANA VERMA Digitally signed by PRERANA VERMA Date: 2025.08.31 12:37:05 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ.ग.)

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्ता का नाम	सकुन्तला साहू
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्ता की गिरफ्तारी दिनांक	11–08–2023
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
जमानत पर रिहा करने की तिथि	–
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	निरंक
अभियुक्ता के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना हैः (अ) + (ब)	
निरंक	

PRERANA VERMA Digitally signed by PRERANA VERMA Date: 2025.08.31 12:37:12 +0530

धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समायोजन का प्रमाण पत्र

अभियुक्ता का नाम	**सुमन साहू**
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि (अ)	
अभियुक्ता की गिरफ्तारी दिनांक	11–08–2023
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	**निरंक**
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि (ब)	
न्यायालय में पेश करने की तिथि	–
जमानत पर रिहा करने की तिथि	–
न्यायिक अभिरक्षा में निरोध अवधि	**निरंक**
अभियुक्ता के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी कुल अवधि, जिसका समायोजन किया जाना हैः (अ) + (ब)	
निरंक	

PRERANA VERMA
Digitally signed by PRERANA VERMA
Date: 2025.08.31 12:37:19 +0530

(कु. प्रेरणा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बिलाईगढ़ (छ.ग.)